



हमारा प्रयास
आपका आवास

'उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद' की सिद्धार्थ विहार योजना,
सेक्टर-9, गाजियाबाद में निर्मित 64 नग (जी+3) EWS
भवनों के सामान्य पंजीकरण के अंतर्गत

पंजीकरण
दि 07.10.2021
से 07.11.2021
तक

दुर्बल आय वर्ग
भवन प्राप्त करने का
स्वर्णिम अवसर

-: भवनों का विवरण :-

क्र. सं.	भवनों का प्रकार	सुपर प्लॉय एरिया	यूनिट कारपेट एरिया	भवनों का तल	संख्या	अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	चयन के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि
1	दुर्बल आय वर्ग (चार मंजिलें) भवन (कुल 64 नग) रेरा पंजीओ सं: UPRERAPRJ759686 Website : www.up-rera.in	30.72 वर्ग मीटर	23.28 वर्ग मीटर	भूतल	16	16.82	0.84	स्वीकृत मूल्य का 10 प्रतिशत शेष धनराशि 10 वर्ष की ब्याज सहित किश्तों में।
				प्रथम तल	16	14.27	0.71	
				द्वितीय तल	16	13.99	0.70	
				तृतीय तल	16	13.71	0.69	

पंजीकरण पुस्तिका रु. 200/- (जी.एस.टी. सहित) भुगतान कर सम्बन्धित बैंक की शाखा से प्राप्त की जा सकेगी एवं आवेदन-पत्र भरकर (पंजीकरण धनराशि सहित) सम्बन्धित बैंक में जमा की जा सकती है।

- पंजीकरण से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें
- समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट/RTGS/NEFT के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है।
- एकमुश्त भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवेदकों को आवंटन में वरीयता दी जाएगी।
- आवेदन के पश्चात् आवंटन-पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमत्य होगी। न्यूनतम ब्याज दर में किश्तों की सुविधा।
- किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को SBI की प्रभावी ब्याज दर MCLR+1 प्रतिशत अर्थात् 7.95% + 1% = 8.95% SAY 9.00% सामान्य ब्याज दर के साथ 2% अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा। आवंटि द्वारा समयानुसार भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण एवं कटौती की कार्यवाही की जाएगी।
- परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी विशेष अथवा विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आवास आयुक्त

ऑफलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक :
एच.डी.एफ.सी. बैंक
ए-15 / 15, सेक्टर-44, नोएडा-201301
संपर्क सूत्र :
आकाश जैन (शाखा प्रबन्धक)
मो.नं. 9335715390

अधिक जानकारी हेतु

श्री हेतम पाल सिंह, सहायक आवास आयुक्त
गाजियाबाद, मो0 8795811049

सुश्री शेरी, उप आवास आयुक्त
मेरठ जोन, मो. 8795810007

इं0 सुमित कुमार-1, अधिशासी अभियंता
नि0स्त्र0-गाजियाबाद-2,
मो0 6390900011

इं0राकेश चन्द्र, अधीक्षण अभियंता
गाजियाबाद, मो0 8795810033



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in> E-mail : info@upavp.com



शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए
1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803

पर कॉल करे या परिषद की वेबसाइट पर लॉग इन करे